राजस्थान सरकार
राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर

क्रमांक : राम/न्याय/स्था/प-76/2010/ 6653 दिनांक: 6 AUG 2021

परिपत्र

माननीय अध्यक्ष महोदय राजस्व मण्डल के निर्देशानुसार राजस्व न्यायालयों की कार्य प्रणाली में सुधार एवं नवाचार के क्रम में समस्त अधीनस्थ राजस्व न्यायालयों के पीठासीन अधिकारियों से दिनांक : 01.04.2020 से 31.03.2021 की अवधि में पारित सर्वश्रेष्ठ निर्णयों को मण्डल स्तर पर गठित समिति द्वारा समुचित मूल्यांकन के उपरान्त चयनित कर निर्णय प्रदाता पीठासीन अधिकारी को प्रशस्ति पत्र एवं स्मृति चिन्ह्न प्रदान कर सम्मानित करने का निर्णय लिया गया है। पीठासीन अधिकारी अपने स्तर पर मूल्याकंन कर उक्त अवधि में उनके द्वारा पारित केवल एक सर्वश्रेष्ठ निर्णय मय प्रमाणित प्रति दिनांक : 31.08.2021 तक मण्डल की ई-मेल आई0डी0 bor-rj@nic.in पर अथवा डाक द्वारा आवश्यक रूप से निबंधक, राजस्व मण्डल को प्रेषित करें। निर्धारित तिथि के पश्चात् प्राप्त निर्णय को मूल्यांकन प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

इस परिप्रेक्ष्य में पीठासीन अधिकारियों से प्राप्त निर्णयों के मूल्यांकन उपरान्त निम्नानुसार तीन स्तर पर एक-एक पीठासीन अधिकारी को सम्मानित किया जायेगा-

राज्य स्तर पर -	1.	संभागीय आयुक्त	-एक
	2.	अति0 संभागीय आयुक्त	-एक
	3.	राजस्व अपील प्राधिकारी	-एक
संभाग स्तर पर-	1.	जिला कलक्टर	-एक
	2.	अति0 जिला कलक्टर	-एक
जिला स्तर पर-	1.	उपखण्ड अधिकारी	-एक
	2.	सहायक कलक्टर	-एक

मण्डल के अधीनस्थ राजस्व न्यायालयों के पीठासीन अधिकारियों से उक्त मूल्यांकन एवं चयन प्रक्रिया में सक्रिय सहभागिता की अपेक्षा की जाती है ताकि उत्कृष्ट, गुणवत्तापूर्ण एवं विधि सम्मतः निर्णय लेखन की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित किया जा सके। ऐसे निर्णयों को भविष्य में मण्डल पत्रिका 'राविरा' में प्रकाशित भी किया जाएगा।

निबन्धक
राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

क्रमांक : सम/ 6654-6662 दिनांक: 16 AUG 2021

प्रतिलिपि :–

1. नि0स0 माननीय अध्यक्ष महोदय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर
2. नि0स0 समस्त माननीय सदस्यगण, राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर
3. नि0स0 निबंधक महोदय, राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर।
4. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
5. समस्त राजस्व अपील प्राधिकारी, राजस्थान।
6. समस्त जिला कलक्टर्स को प्रेषित कर निवेदन है कि आपके अधीनस्थ समस्त राजस्व न्यायालायों के पीठासीन अधिकारियो/राजस्व अधिकारियों को उक्तानुसार आवश्यक रूप से सूचित कर मण्डल कार्यालय को अवगत करावें।
7. अध्यक्ष, राजस्व बार ऐसोसिएशन राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर।
8. प्रभारी अधिकारी, समस्त शाखा, राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर।
9. आदेश पंजिका/गार्ड फाईल।

अति0 निबंधक (न्याय)
राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर